

16/11

आज यह पत्रावली जारी गऊ की शरत से
 अधिवक्ता वारीगऊ द्वारा प्रार्थना पर उत्तर
 करने पर वेसी में ली गयी वकील वारीगऊ
 निवेदन किया कि प्रतिवादी से-1 लौंग दोन्युके
 है प्रकथ में वारीगऊ आगे कोर्ट काना नही जावे
 है प्रकथ वेसी में लेकर निस्तारित करने हेतु
 निवेदन किया वकील वारीगऊ काउ-यू नोट
 प्रोसेस किया लिहजा काउ-यू वारीगऊ पर निवेदन
 आव्या पर खारिज किया जाता है पत्रावली
 मिलने में शुभदा होकर हाजिर-हजेरत है

Sir
 Not
 Press


 उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर